

कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत।

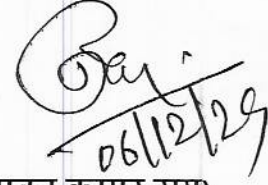
विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिये जनपद न्यायालय बागपत के बाहर प्रस्तावित स्थल पर कार एवं मोटर साईकिल पार्किंग की नीलामी अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 16.12.2024 को अपराह्न 04:00 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में होना नियत है।

इच्छुक व्यक्ति कार एवं मोटर साईकिल पार्किंग के ठेके की नीलामी में भाग लेने हेतु दिनांक 16.12.2024 से पूर्व केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त से सम्बन्धित सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/baghat> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर देखी जा सकती है।

दिनांक:-06.12.2024



(पवन कुमार राय)

अध्यक्ष,

ठेका नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

त्वरित न्यायालय संख्या-01 बागपत।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी0ओ0 संख्या-562/उन्नीस-2-2007-1007(टी0सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी की विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
02. कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बागपत।
03. कार्यालय तहसील सदर बागपत, खेकड़ा तथा बड़ौत।
04. कार्यालय नगर पालिका परिषद बागपत एवं जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पट पर चस्पा हेतु।
05. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।



(पवन कुमार राय)

अध्यक्ष,

ठेका नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

त्वरित न्यायालय संख्या-01 बागपत।

**मोटर साईकिल पार्किंग ठेका नीलामी समिति का कार्यवृत्त, जनपद न्यायालय
बागपत।**

नीलाम समिति की बैठक आज दिनांक 05.12.2024 को मेरे विश्राम कक्ष में दोपहर 01:30 बजे आहूत की गयी। बैठक में नीलाम समिति के सदस्य श्री राहुल कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत एवं श्री रजनीश कुमार-द्वितीय, सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित बागपत उपस्थित आयें।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 3390/एडमिन. (बी.-I) सेक्शन दिनांकित 28.11.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिये जनपद न्यायालय बागपत परिसर के बाहर प्रस्तावित स्थल पर कार एवं मोटर साईकिल पार्किंग के ठेकों की नीलामी हेतु बोली की आरम्भिक धनराशि में 10% की कमी करते हुये पुनः नीलामी कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, उक्त पत्र पर पारित माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 03.12.2024 के अनुपालन में नीलाम समिति को पुनः नीलामी कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के पुनः नीलामी कराये जाने के आदेश के अनुपालन में नीलाम समिति द्वारा दिनांक 16.12.2024 को पुनः मोटर साईकिल पार्किंग एवं कार पार्किंग के प्रस्तावित स्थलों की नीलामी खुली बोली द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया।

कार एवं मोटर साईकिल पार्किंग के ठेकों की नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्तियों द्वारा केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बागपत से फार्म प्राप्त किये जा सकेंगे। किसी भी व्यक्ति/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से उक्त नीलामी के संबंध में जानकारी की जा सकती है।

वाहन पार्किंग का विवरण व स्थान का विवरण

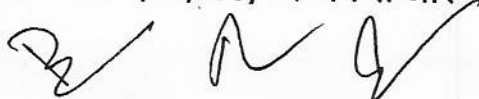
क्र.सं.	ठेके का विवरण	धरोहर राशि	भूमि का विवरण
01	कार पार्किंग	25000/- रुपये	120 फिट x 85 फिट = 10200 वर्ग फिट
02	मोटर साईकिल व साईकिल पार्किंग	25000/- रुपये	120 फिट x 85 फिट = 10200 वर्ग फिट

वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल पार्किंग की दरें निम्नवत है:-

कार पार्किंग (चार पहिया वाहन)	30 रुपये/वाहन
ऑटो रिक्शा (तीन पहिया वाहन)	20 रुपये/वाहन
मोटर साईकिल (दो पहिया वाहन)	20 रुपये/वाहन
साईकिल	05 रुपये/वाहन

नीलामी की शर्तें निम्नवत है:-

- यह वाहन पार्किंग ठेका नीलामी दिनांक से वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि तक के लिये वैध होगा।
- जिस ठेकेदार/फर्म के यहां वाहन पार्किंग से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त ठेके की पुनः बोली करायी जा सकेगी।
- न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
- किसी भी एक व्यक्ति/ फर्म द्वारा मोटरसाईकिल पार्किंग अथवा कार पार्किंग में से किसी एक पार्किंग स्थल के लिए ही आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
- वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिये कार पार्किंग की न्यूनतम बोली धनराशि अंकन 88,312/- रुपये से आरम्भ की जायेगी।
- वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग की न्यूनतम बोली धनराशि अंकन 1,46,475/- रुपये से आरम्भ की जायेगी।

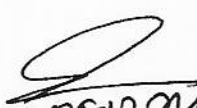


8. धराहर धनराशि के रूप में अंकन 25000/- रुपये का डिमाण्ड डॉफ्ट जनपद न्यायाधीश बागपत के पक्ष में जमा किया जायेगा।
9. जिस ठेकेदार/फर्म के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति/फर्म अपना ठेका स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
10. नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी।
11. नीलामी की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का 25% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को दो किस्तों में फरवरी-2025 व मार्च-2025 के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवंटन को निरस्त कर सकते हैं।
12. वाहन पार्किंग ठेकेदार/फर्म को अपने स्थल की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड एवं मोटर साईकिल स्टैण्ड एवं कार पार्किंग निर्धारित स्थल पर कीचड़, जल भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये स्वयं प्रबन्ध करना होगा और पार्किंग स्थल पर घास, कूड़ा-करकट आदि की नियमित साफ-सफाई करानी होगी।
13. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। पार्किंग स्थल पर गंदगी पाये जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
14. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड दाखिल करना होगा।
15. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवंटित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थल का प्रयोग किसी गैर-कानूनी कार्य के लिये नहीं करेगा।
16. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को उक्त सभी शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में अंकन 100/- रुपये के स्टॉम्प पर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


रजनीश कुमार-द्वितीय
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज जू० डिवीजन/त्वरित,
बागपत।


राहुल कुमार सिंह
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।


पवन कुमार राय
अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-01 बागपत।


Approved
District Judge
Baghat